न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37/2021 बउनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी, नि.दुकान नं.–21 सालासर वाटिका–6,
नाथ जी की थडी के पास झोटवाड जयपुर **GCMS No-2021/78**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

:–प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2021 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा को एक पत्र लिखा गया था जिनका विषय " **महापुरा मैन रोड से कुम्हारो की झोपडिया होकर खेडा तक जाने वाले आम रास्ता पर जंगली बबूल(कटीली बूलिया)को हटाकर मोरम व सीमेन्टेड सीसी रोड बनवाने बाबत**" था। उक्त प्रा0 पत्र पर निम्न सूचना उपलब्ध करावेः–

3. उक्त प्रा0पत्र की प्रति एवं संलग्न किये गये दस्तावेज।
4. उक्त पत्र को डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किया है उसकी प्रति।
5. उक्त लिखे गये पत्र पर चलाई गयी समस्त नोटशीटे।
6. संबंधित समस्त पत्रावलियों के आगे व पीछे के फाईल कवंर।
7. उक्त पत्र पर की गयी समस्त कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज।
8. उक्त पत्र के संबंध में आपके विभाग द्वारा एवं अन्य किसी विभाग द्वारा किया गया समस्त प्रकार का पत्राचार की प्रति।
9. उक्त पत्र के संबंध मे संधारित समस्त पत्रावली।
10. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक का नाम, पिता का नाम,दूरभाष नम्बर,निवासी स्थान का पता तथा वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।
11. उक्त पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही जिस नियम के तहत नही की गयी है उसकी प्रति।
12. उक्त पत्र पर विभाग मे कार्यवाही नही करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी/लोक सेवक का नाम, पिता का नाम,दूरभाष नम्बर, निवासी स्थान का पता तथा वर्तमान पदस्थापन से संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को [illegible] करने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों को सुनवायी तारीख जरिये नोटिस की ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2021/10 दिनांक 22.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.2021 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा से होने के कारण प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 364 दिनांक 15.3.3021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा को अन्तरित कर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 में चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय दिनांक 15.3.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया था। किन्तु प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी को अन्तरित किये जाने से संबंधित कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जाना चाहिए थी। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है उक्त प्रार्थना पत्र को विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा को अन्तरित किये जाने से संबंधित कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। अपीलान्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के कार्यालय से संबंधित सूचना के लिए समक्ष ऑथर्टी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested